श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत), माननीय स०वि०प० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० 1/208/53

से उद्भूत आश्वासन संख्या-06/208

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन /आश्वासन	अनुपालन की अद्यतन स्थिति
(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत बेनीपट्टी प्रखंड के चानपुरा में बांध निर्माण 1982 में कराया गया, चानपुरा रिंग बांध का निर्माण किया गया और 2014 में इसका विस्तार भी किया गया; (ख) क्या यह सही है कि इस रिंग बांध में माधोपुर में स्लूईस गेट का निर्माण नहीं किया गया, जिससे पानी का बहाव रूक गया है और चानपुरा, धनुषी, रजबा टोल, माधोपुर रिंग बांध की सुरक्षा हेतु बहाव भी रूक गया है; (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चानपुरा रिंग बांध में माधोपुर में स्लूईस गेट का निर्माण एवं 2014 में इस बांध के विस्तार के क्रम में 1982 में बने बांध से टेगिंग कराना चाहती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों?	(क) स्वीकारात्मक । (ख) वस्तुस्थिति यह है कि चानपुरा, धनुषी, रजवाटोला, माधोपुर, सुरक्षा बांध में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क निर्माण किया गया है, जिसमें पूर्व से हयुम पाईप स्लूईस गेट / कल्भर्ट का निर्माण भी किया गया है । धौस नदी एवं खिरोई नदी के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि होने पर दोनों नदियों के बैक वाटर का पानी चाँदपुरा सुरक्षा बांध एवं चाँदपुरा रिंग बांध के बीच से अन्दर आता है तथा जलस्तर घटने पर धीरे-धीरे स्वतः उसी रास्ते एवं पूर्व से बने हयुम पाईप स्लूईस गेट / कल्भर्ट से निकल भी जाता है । (ग) वर्ष 2014 में बांध विस्तारीकरण कार्य उपलब्ध भूमि के अनुरूप किया गया था । चानपुरा रिंग बांध से विस्तारित बांध को टैगिंग करने हेतु 180 मीटर की लंबाई में बांधों के टैगिंग के पश्चात सुरक्षा बांध पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ सकता है। जिस हेतु आवश्यक सर्वेक्षणोंपरान्त विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी ।	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत स्थल पर एन्टी फ्लड स्लूईस निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति के आलोक में निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्य का एकरारनामा किया जा चुका है। वर्तमान में बाढ़ अवधि होने के कारण तटबंध को काट कर स्लूईस गेट निर्माण किया जाना तकनीकी रूप से श्रेयस्कर नहीं है। अतः बाढ़ अवधि के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कर मार्च, 2027 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।
	आश्वासन:- स्लूईस गेट के त' सर निर्माण होईत छैक, जहां पानी के रोकै के' खोलै के' जत' दुनू जरूरी होईत छैक, ओहि ठाम ने। एहि ठाम त' पानी बह' के जरूरी छैक जे जल जमाव नहि होए। फिर भी हम, अपना अधिकारी के कहबै, ऊ ठाकुरजी के संग ल'क' स्थल के अध्ययन क' लेतै, अगर जरूरी होतै त' हम सब कार्रवाई करबै।	

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(सम0)–12–02 / 2025– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 208वें सत्र के उनके ज्ञापांक–84(6) दिनांक–22.01.2025 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–01 / 208 / 53 से उदभूत आश्वासन सं0–06 / 208 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(सम0)–12–02 / 2025– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(सम0)–12–02 / 2025– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– अवर सचिव, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(सम0)–12–02 / 2025– 4541 पटना, दिनांक– 06/10/2026
प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06.10.26
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव
05.10.26